# फर्द अहकाम

(नियम–26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (एस.डी.एम.) मुकाम जायल (नागौर)

...या | बनाम | अप्रार्थीगण
...लसिंह | | उगमसिंह वगैरह

...न प्रकरण : राजस्व प्रा.पत्र

मुकदमा नं. 66/2021

| ...रेख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज | नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये। |
|---|---|---|
| 08/2021 | यह प्रार्थना पत्र अधीन धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, आदेश 39 नियम 1 व 2 सीपीसी के तहत प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री मुकेश कुमार बिड़ीयासर ने पेश किया। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र बाबत् अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आवश्यक प्रकृति का होना जाहिर किया तथा प्रकरण में एक पक्षीय बहस का निवेदन किया।<br>दौराने बहस वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि प्रार्थीगण तथा अप्रार्थीगण संख्या 1 से 7 (7/1 से 7/4) की पुश्तैनी बडेर की भूमि मौजा टालनियाउ तहसील जायल में खसरा नं. 824/129 हैक्टैयर भूमि के रूप में स्थित हैं। जिसमें प्रार्थीगण के पिता का 1/7 हिस्से में से प्रार्थीगण का 3/4 हिस्सा निहित है। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा पूर्व में अपना हिस्सा जरिये रजिस्ट्री के बैचान भागीरथ पुत्र मुलाराम को कर दिया गया था, जिसका नामान्तकरण संख्या 988/20.07.2021 स्वीकृत हो चुका है। इसी प्रकार अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा शेष की भूमि का खातेदारी की आड़ में अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष को मुतदाविया खेताय की भूमि को जरिये दानपत्र के स्थानान्तरित कर दिया है। जिसका नामान्तकरण जैर प्रक्रियाधीन है। इस प्रकार के कृत्य से प्रार्थीगण के हितो पर कुठाराधात हुआ है तथा प्रार्थीगण का भविष्य अंधकार मय हो गया है। यदि मुतदाविया खेताय की भूमि का आगे बैचान हस्तान्तरण, इत्यादि होता है तो अप्रार्थीग्ण को अपूरणीय क्षति होगी। अतः प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति का बिन्दू प्रार्थीगण के पक्ष में है।<br>अतः अप्रार्थीगण संख्या 1 से 9 को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के पाबंद किया जावे कि मुतदाविया खेतायों की भूमि का बैचान, हस्तान्तरण इत्यादि नहीं करे तथा ना ही किसी प्रकार दस्तावेज पंजीयन करे तथा राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे।<br>प्रार्थना पत्र के संबंध में उपलब्ध दस्तावैज, प्रार्थी के शपथ पत्र एवं राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। उक्त दस्तावेजात् एवं प्रार्थी के स्वयं के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुये प्रथम दृष्टयां विवादग्रस्त भूमि खसरा नं. 824/129 रकबा 6.8635 पक्षकारान की पूश्तैनी भूमि है जिसका विधिवत् भोतिक विभाजन नहीं हो रखा है। अप्रार्थी द्वारा मुतदाविया खेतायों की भूमि में से अपने हिस्से अधिक का बैचान, हस्तान्तरण, दान करने का तथ्य साक्ष्य स्वरूप बैचान नामा प्रति, दानपत्र की प्रति से साबित है। यदि विवादग्रस्त भूमि में से मुतदाविया खेताय की भूमि का खातेदारी की आड़ में अप्रार्थीगण द्वारा आगे हस्तान्तरण, बैचान, दानपत्र इत्यादि किया जाता है। अपूरणीय क्षति प्रार्थीगण को होना प्रतीत होती है तथा तथा मामला प्रथम दृष्टयां, सुविधा का संतुलन के बिन्दू भी प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होते है।<br>अतः अप्रार्थीगण संख्या 1 से 9 को ग्राम– टालनियाऊ, तहसील जायल के खसरा नं. 824/129 रकबा 6.8635 की भूमि के राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति आगामी तारीख पेशी तक बनाये रखे जाने बाबत जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के पाबंद किया जाता है। अप्रार्थीगण [illegible] सम्मन के जवाबदेही हेतु तलब हो। पत्रावली दिनांक 08.09.202[illegible] हो।<br>(हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल | |
| 08/9/21 | वकील वादी/ प्रार्थी उप. प्रतिवादी नं. 1,2,5,6,7/1, 7/4 की ओर से जवाबदावा पेश किया [illegible] प्रतिलिपि वकील प्रार्थी को दिलाई गई। [illegible] वास्ते [illegible]<br>(हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल<br>PJO | |

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2022.11.02 10:30:21 IST
Reason: SelfAttested

फर्द अहकाम

(नियम–26)

अज् अदालत सहायक कलक्टर (एस.डी.एम.) मुकाम जायल (नागौर)

वादीगण बनाम प्रतिवादीगण

बनाम्

मुकदमा नं.– /

प्रकरण :

| तारीख क्रम | हुक्म या कार्यवाही इनिशिलस जज | नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये। |
|---|---|---|
| 1/8/22 | वकुलाय उप। अप्रार्थी स. 3 का सम्मन तामील/मदम तामील नहीं लौटा है। वकील प्रार्थी पुनः डाक खर्च सहित सम्मन तलवाना पेश करें। मिसल दिनांक 16/8/22 को पेश हो।<br>सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल | |
| 16/8/22 | पत्रावली प्रस्तुत। वकुलाय उप। प्र.वादी स. 1, 2, 4 से 6, 7/1 से 7/4 की ओर से जवाबदावा पेश हुआ। प्रतिवादी स. 3 की सा. मिसल रहे। [illegible] पेश हो। मिसल तलबी हेतु तलवाना पेश हो। दिनांक 7/9/22 को पेश हो।<br>सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल | |
| | पेशकार/पेशकारान के ध्यानार्थ<br>7/9/22<br>पीठासीन अधिकारी की मिटिंग में/प्रवास/अवकाश पर [illegible] इसलिए प्रकरण इनके समक्ष दिनांक 29/9/22 पेश करें। | |
| 29/9/22 | पेशकार/पेशकारान के ध्यानार्थ<br>पीठासीन अधिकारी की मिटिंग में/प्रवास/अवकाश पर [illegible] है, इसलिए प्रकरण इनके समक्ष दिनांक 6/10/22 (3t) पेश करें। | |
| 6/10/22 | पत्रावली प्रस्तुत। वकील अप्रार्थी [illegible] प्रार्थना पत्र से संबंधित [illegible] हाजरी स्वयं अदम पैरवी [illegible] गया है। वाद के अभाव में प्रार्थना [illegible] पोषणीय नहीं रहा है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। मिसल बंद जाए। कार्यवाही दाखिल दफ्तर रहे।<br>सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल | |

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2022.11.02 10:30:21 IST
Reason: SelfAttested